न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन सख्याः–95/18

1. दीपक खण्डेलवाल पुत्र श्री राधेश्याम खण्डेलवाल, जाति महाजन, निवासी 34, पंचवटी, अलवर, राजस्थान।

---प्रार्थी

बनाम

1 नगर विकास न्यास अलवर जरिये निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना अलवर।
2. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर
3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि पुर्नग्रहण) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर।

---अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 13.08.2018

प्रार्थी द्वारा यह पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.02.2018 (अपील संख्या 460/2016) से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आवंटन पत्र 1820/2000 दिनांक 03.05.2000 के सम्बन्ध में अनिल कुमार खण्डेलवान ने ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पूर्व में एक अपील संख्या 138/2014 उनवनी अनिल कुमार खण्डेलवाल बनाम नगर विकास न्यास अलवर व अन्य प्रस्तुत की जिसे न्यायालय श्रीमान् ने दिनांक 06.10.2015 को स्वीकार फरमाकर उक्त आवंटन पत्र क्रमांक 1820/2000 दिनांक 03.05.2000 की हद तक चनौतीत आदेश दिनांक 27.02.2008 को निरस्त फरमा दिया एवं उक्त प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्राधिकृत अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास अलवर को प्रतिप्रेषित कर दिया कि प्रकरण में अपीलार्थी को सक्ष्य, सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें, उक्त निर्णय की प्रति प्रार्थी ने अपनी उक्त अपील संख्या 460/2016 में संलग्न है। उन्होने आगे कथन किया है कि कनेक्टेड अपील संख्या 459/2016 उनवानी अनिल खण्डेलवाल बनाम नगर विकास न्यास अलवर व अन्य के प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर 505 (पुराना खसरा नम्बर 428) क्षेत्रफल 0.29 ऐयर (1 बीघा 15 बिस्वा) का 1/5 वां हिस्सा के खातेदार श्रीमती राधादेवी पत्नी श्री मुरारीलाल से उक्त 1/5 वे हिस्से को जरिये इकरारनामा दिनांक 05.05.1999 क्रय किया एवं उक्त 1/5 वे हिस्से में से 699 वर्गगज का भूखण्ड के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के अन्तर्गत प्रार्थी के पक्ष में नगर विकास न्यास अलवर ने एक आवंटन पत्र क्रमांक 10–11/2000 दिनांक 12.05.2000 जारी किया, उक्त आवंटन पत्र को भी उक्त आदेश दिनांक 31.05.2001 के जरिये निरस्त किया गया, के क्रम में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 27.02.2008 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के

P.T.O

संभागीय आयुक्त
जयपुर

समक्ष प्रार्थी ने एक अन्य रिट याचिका संख्या 1267/2010 उनवान अनिल कुमार बनाम यू.आई.टी. अलवर व अन्य प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 10.04.2014 को अल्टरनेटिव रेमेडी लिये जाने के आधार पर अनिल कुमार ने उक्त रिट याचिका को विड्रो कर लिया एवं उक्त आवंटन पत्र 10–11/2000 दिनांक 12.05.2000 के सम्बन्ध में अनिल कुमार ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त अपील के साथ कनेक्टेड अपील संख्या 459/2016 उनवनी अनिल कुमार बनाम नगर विकास न्यास अलवर व अन्य प्रस्तुत की जिसे न्यायालय श्रीमान् ने दिनांक 26.02.2018 को उक्त अपील के साथ खारिज फरमा दिया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् का आदेश दिनांक 26.02.2018 वास्तविक तथ्यों, विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना, न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि न्यायालय श्रीमान् ने उक्त चुनौतित आदेश दिनांक 26.02.2008 पारित करते समय पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों जैसे प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.07.1999 एवं प्रार्थी के पक्ष में जारी आवंटन पत्र संख्या 1822/2000 दिनांक 03.05.2000 एवं उक्त आवंटन पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 31.05.2000 का अवलोकन किये बिना पारित किया है, यदि न्यायालय उक्त उक्त विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.07.1999 एवं प्रार्थी के पक्ष में जारी आवंटन पत्र संख्या 1822/2000 दिनांक 03.05.2000 एवं उक्त आवंटन पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 31.05.2000 का ध्यान से अवलोकन करती तो यह स्पष्ट हो जाता कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य अपील संख्या 138/2014 अनिल कुमार खण्डेलवाल बनाम नगर विकास न्यास अलवर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2015 में चुनौतित आदेश दिनांक 27.02.2008 है, परन्तु उक्त चुनौतित आदेश अनिल कुमार के पक्ष में निष्पादित एक अन्य विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1999 एवं आवंटन पत्र संख्या 1820/2000 दिनांक 03.05.2000 की हद तक ही प्रभावी व अस्तित्व में है एवं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन पत्र निरस्त किये जाने के आदेश में भी दोनों प्रकरणों को पृथक–पृथक कर सूचीबद्ध किया गया इसलिये न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त चुनौतित आदेश दिनांक 26.02.2018 सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2018 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्राधिकृत अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास अलवर के आदेश क्रमांक 08/34–35/08 दिनांक 27.02.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसे न्यायालय श्रीमान् ने पूर्व में पारित आदेश दिनांक 06.10.2015 के द्वारा निरस्त फरमाकर उक्त प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी का यह कथन है कि यह सत्य है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 138/2014 का चुनौतित आदेश क्रमांकः /34–35/08 दिनांक 27.02.2008 ही प्रार्थी की एक अन्य अपील संख्या 460/2016 का चुनौतित आदेश है, परन्तु दोनों अपीलों मे प्रार्थी को दो अलग–अलग स्वामित्व के दस्तोवजों के आधार पर दो विभिन्न आवंटन

P.T.O

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्र संख्या 1820/2000 दिनांक 03.05.2000 अनिल कुमार के पक्ष में एवं 1822/2000 दिनांक 03.05.2000 नगर विकास न्यास अलवर ने प्रार्थी के पक्ष में जारी किये है इसलिए दो अलग–अलग आवंटन पत्रों की दो अलग–अलग अपीलें न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई इसलिये न्यायालय श्रीमान् द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 06.10.2015 केवल अनिल कुमार के आवंटन पत्र संख्या 1820/2000 के सम्बन्ध में ही प्रभावी एवं अस्तित्व में है माना एवं समझा जावेगा, इसलिये न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित उक्त चुनौतित आदेश दिनांक 26.02.2018 सरसरी तौर पर ही निरस्त किय जाने योग्य है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार करते हुए न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2018 को निरस्त फरमावे एवं प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 460/2016 उनवानी दीपक खण्डेलवाल बनाम यू.आई.टी. अलवर व अन्य में अधीनस्थ न्यायालय के चुनौतीत आदेश दिनांक 27.02.2008 को निरस्त फरमाते हुऐ प्रार्थी की ग्राम अलवर नम्बर 1 तहसील एवं जिला अलवर में अवस्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 505 गत 438 रकबा 0.29 ऐयर के 2/5 वे हिस्से में से 1002 वर्गगज के सम्बन्ध मे धारा 90 बी (7) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही करने के लिऐ अधीनस्थ न्यायालय को अदेश पारित करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा नगर विकास न्यास अलवर के आदेश क्रमांक/08/34–35/08 दिनांक 27.02.2008 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 138/14 प्रस्तुत की गई है जिसके निर्णय दिनांक 06.10.15 से नगर विकास न्यास अलवर का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/08/34–35/08 दिनांक 27.02.2008 पूर्णरूप से निरस्त कर प्रकरण नगर विकास न्यास अलवर को प्रतिप्रेषित किया गया है जिसकी पालना में नगर विकास न्यास अलवर द्वारा पक्षकारान की पुनः सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना अभी बाकी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 06.10.2015 के संदर्भ में नगर विकास न्यास अलवर के समक्ष अपना पक्ष, समर्थन, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिये। ऐसी में जब न्यायालय हाजा द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर के आदेश क्रमांक/08/34–35/08 दिनांक 27.02.2008 पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है तो उसे फिर दुबारा से निरस्त करने का कोई औचित्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर